# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4072/2024**

नन्दलाल भील

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ़।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थमलाव, ब्लॉक भैंसरो अडगढ़, चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.12.2024
**आदेश की दिनांक** : 20.12.2024

**अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता**

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 06.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि में इस तथ्य पर विचार किए बिना दूर के स्थान पर नियुक्ति दी गई थी कि पास की नियुक्ति के स्थान पर शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के पद रिक्त हैं। अपीलकर्ता का नाम क्रम संख्या 26 पर रखा गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति की जगह को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थमलाव, ब्लॉक भैंसरो अड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ से बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवदो का खेड़ा, ब्लॉक भोपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़ कर दिया है और उन्होंने काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास में खाली पद दिखाए बिना नियुक्ति के ब्लॉक को अवैध रूप से बदल दिया है। प्रत्यर्थी विभाग ने भी गंभीर अवैधता की है, जिसमें पद के विरुद्ध समान उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को विवादित आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को

अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही विवादित नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर कार्यरत है। उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 06.12.2024 के आदेश के तहत प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान अवैध रूप से बदल दिया और अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित कर दिया, जबकि अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग किए बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया और बिना सोचे–समझे मनमाने ढंग से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी की नियुक्ति कर दी। प्रत्यर्थी विभाग ने लेवल 2 के उम्मीदवार को लेवल 2 के पद के विरुद्ध नजदीकी ब्लॉक में नियुक्ति देकर भी गंभीर अपराध किया है, जिस पर अपीलार्थी का अधिकार था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थमलाव, ब्लॉक भैंसरो अड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी

को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**